राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 05/2025 — दायर दिनांक 24.01.2025

अनवान

01 राजकुमार पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बनाम

.... वादी

1. कान्तीबाई पुत्री शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **(नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)**
2. शिवलाल पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. सम्पति पुत्री शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **(नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)**
4. शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा बेंगू जिला चित्तौड़गढ (राज0)
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 01. श्री अनिल कुमार धाकड़ – विद्वान अधिवक्ता वादी
02. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ – विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 3

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 16/12/2025

संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 24.09.2025 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि मौजा **ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलिया स्थित खाता संख्या 169 पर स्थित आराजी नम्बर 610/417 रकबा 0.4290 हैक्टेयर भूमि में वादी के 1/2 हिस्से को राजस्व रेकॉर्ड व मौके पर मिट्स एवं बाउण्डस के आधार पर विभाजन किये जाने के** आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौलियां ने अपने पत्रांक/राजस्व/2025/2029 दिनांक 12.12.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना, मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी नकल की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत की। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादी को स्वीकार है।

लगातार पेज संख्या 02 पर

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार **बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर** वादी की उपस्थिति में तैयार करना भू–अभिलेख निरीक्षक **उमाजी का खेड़ा** ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया हैं।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री** किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
01	राजकुमार पुत्र शंकरलाल धाकड साо देह खातेदार रहन एचडीएफसी बैंक शाखा बेंगू	**कल्याणपुरा**	610/417/2	0.2145
	योग		**किता 01**	**0.2145**
02	शिवलाल पुत्र शंकरलाल धाकड़ सा0 देह	**कल्याणपुरा**	610/417/1	0.2145
	योग		**किता 01**	**0.2145**

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशीयल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब की जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 16/12/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 05 / 2025 दायर दिनांक 24.01.2025

अनवान

01. राजकुमार पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... डिक्रीदार

बनाम

1. कान्तीबाई पुत्री शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **(नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)**
2. शिवलाल पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. सम्पति पुत्री शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **(नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)**
4. शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा बेंगू जिला चित्तौड़गढ (राज0)
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... मदयूनान

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88 रा0टी0एक्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

निर्णय दिनांक : 16 / 12 / 2025

डिक्री दिनांक : 16 / 12 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियॉ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री अनिल कुमार धाकड़ एवं विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 3 श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि :– निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम **ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा** के राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
01	राजकुमार पुत्र शंकरलाल धाकड़ सा0 देह खातेदार रहन एचडीएफसी बैंक शाखा बेंगू	कल्याणपुरा	610 / 417 / 2	0.2145
	योग		किता 01	0.2145
02	शिवलाल पुत्र शंकरलाल धाकड़ सा0 देह	कल्याणपुरा	610 / 417 / 1	0.2145
	योग		किता 01	0.2145

उक्तानुसार डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे।

नीज ....Nil...............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल याबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..16.. माह 12...... वर्ष 2025 को जारी किया गया।

नोट :– प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक ...16.../...12.../2025 को मुर्तिब की गई।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दया	–		स्टाम्प अरजी दया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
मेहनताना वकील ( )	–		मेहनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां